हादसा टला | धमाके के साथ मची चीख पुकार और अफरा-तफरी

बड़ा फुहारा में ढही पांच मंजिला पुरानी बिल्डिंग

नवभारत, जबलपुर। शहर में पिछले दिनों से रुक-रुक कर हो रही लगातार बारिश के चलते मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। कोतवाली थाना अंतर्गत सबसे व्यस्त व्यावसायिक इलाके बड़ा फुहारा में एक बेहद पुरानी पांच मंजिला बिल्डिंग अचानक धमाके के साथ भरभराकर जमींदोज हो गई। इमारत के गिरते ही इलाके में चीख-पुकार के साथ अफरा-तफरी मच गई और धूल का गुबार छा गया। गनीमत यह रही कि मलबे की चपेट में आने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि पुलिस, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया था और देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कोई फंसा तो नहीं है इसकी आशंका के चलते देर रात तक सर्चिंग की गई। जानकारी के अनुसार बड़ा फुहारा में मंगलवार रात्रि 7:30 बजे एक बंद पड़ी पांच मंजिला जर्जर बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भरभराकर गिर गई बिल्डिंग के आसपास दुकानें थी लेकिन वे बंद थी। चंद सेकंट में इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। घटना से मौके पर अफरा-तफरी एवं भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। पूरे क्षेत्र में धूल का घना गुबार छा गया और कुछ देर के लिए लोगों में दहशत का माहौल नि र्मित हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद रात्रि 7:50 बजे हादसे की सूचना नगर निगम दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर फायर बिग्रेड टीम भी पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया है और बिजली सप्लाई काट दी गई है। नगर निगम की मौके पर पहुंच गई थी। तेजी से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। शुरुआती तौर पर किसी के भी मलबे में दबे होने की पुष्टि नहीं थी, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे मलबे को पूरी तरह साफ किया जा रहा है। घंटों सर्चिंग चली।

मंगलवार बाजार बंद, टला बड़ा हादसा

मंगलवार होने से कोतवाली बाजार बंद था। मंगलवार के चलते अधिकांश दुकानें बंद थी और भीड़ भाड़ भी कम थी वरना बड़ा हादसा होने से इंकार नहीं किया जा सकता था। गनीमत रही कि हादसे के वक्त भीड़ कम थी और वहां कोई मौजूद नहीं था जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया।

दावा: जर्जर नहीं थी बिल्डिंग, पड़ोसी के मकान तोड़ने से गिरा हिस्सा

हादसे को लेकर नगर निगम ने दावा किया कि प्राथमिक जांच और स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, मकान जर्जर श्रेणी में नहीं था। दरअसल, पड़ोस में रहने वाले एक परिवार द्वारा नया निर्माण कार्य कराने के लिए अपने घर की दीवार तोड़ी जा रही थी। इस तोड़फोड़ के कारण मुख्य मकान के पिलर कमजोर हो गए, जिसके परिणामस्वरूप मकान भरभराकर गिर गया। यह भी दावा किया गया कि मॉनसून और जनसुरक्षा के मद्देनजर शहर के सभी क्षेत्रों में वास्तव में जर्जर और खतरनाक हो चुके भवनों को तेजी से चिन्हित कर नोटिस जारी किये जा रहे है।

घबराए लोग, इधर उधर भागे

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक तेज आवाज के साथ बिल्डिंग ढह गई चूंकि यह क्षेत्र बेहद संकरा और व्यस्त बाजार है, इसलिए घटना के वक्त वहां काफी चहल-पहल थी। गनीमत रही कि जैसे ही बिल्डिंग के हिलने का अहसास हुआ, आसपास खड़े लोग तुरंत भाग गए, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई। धमाके की आवाज से आसपास के लोग भी घबरा गए थे थोड़ी देर के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया वे भी इधर उधर भागे।

कार चपेट में आई, दुकानें क्षतिग्रस्त

हादसे में आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हुई है इसके साथ ही बिल्डिंग के पास खडी सफेद रंग की कार क्रमांक एमपी 20 सीके 1326 चपेट में आ गई थी और क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में भी कोई मौजूद नहीं था वरना बड़ा हादसा हो सकता था।

जर्जर भवनों को लेकर उठे सवाल

मानसून दस्तक दे चुका है लेकिन जर्जर भवन शहर में अभी मौजूद है। जिम्मेदार जर्जर भवनों को चिन्हित करनेका दावा करते हुए उन्हें ढहाने की बात कहते है जब कोई बड़ा हादसा होता है तब जिम्मेदार नींद से जागते है। एक बार फिर शहर में जर्जर और पुराने भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए है।

जर्जर भवन चिन्हित कर हटाए जाएंगे

बड़ा फुहारा कमानिया गेट के बीच में चार से पांच मंजिला गिर गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यहां कोई निवासरत नहीं था। मंगलवार था इसलिए दुकानें बंद थी। जिसके चलते जनहानि नहीं हुई। नगर निगम टीम को बुलाकर सर्चिंग ऑपरेशन करवाया गया। यहां जो भी जर्जर बिल्डिंग है उसे तत्काल चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई होगी।

मानस द्विवेदी
टीआई कोतवाली

40 साल पुरानी बिल्डिंग, सब सुरक्षित

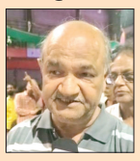

बिल्डिंग जर्जर हालात में थी यहां कोई नहीं रहता था। वे खाली रहती थी। 40 साल से अधिक पुरानी पांच मंजिला बिल्डिंग थी। हमारी भी दुकान बाजू में थी। सब सुरक्षित है।

राकेश जैन, व्यापारी

डीआरएम कार्यालय में गिरी फॉल्स सीलिंग, बड़ा हादसा टला

निर्माण गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेलवे के डीआरएम कार्यालय में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया। कार्यालय के हॉल क्रमांक-ई में अचानक फॉल्स सीलिंग भरभराकर नीचे गिर गई। घटना के समय हॉल में कई लिपिक और कर्मचारी अपने-अपने कार्य में व्यस्त थे। तेज आवाज के साथ सीलिंग गिरने से कार्यालय में अफरा-तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि किसी कर्मचारी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन घटना के बाद पूरे कार्यालय परिसर में दहशत का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ ही क्षण पहले कर्मचारी अपनी सीटों पर काम कर रहे थे। अचानक फॉल्स सीलिंग का बड़ा हिस्सा नीचे गिर पड़ा। यदि घटना कुछ सेकंड पहले होती तो कई कर्मचारी इसकी चपेट में आ सकते थे और बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद कर्मचारियों ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने प्रभावित हिस्से का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि जिस भवन का निर्माण एवं नवीनीकरण कुछ महीने पहले ही पूरा हुआ था, उसकी फॉल्स सीलिंग पहली ही बारिश से पहले जवाब कैसे दे गई।

बढ़ गई है चिंता

कर्मचारियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया गया है। उनका कहना है कि सरकारी धन खर्च होने के बावजूद यदि इतनी जल्दी भवन के हिस्से टूटने लगें तो निर्माण एजेंसी और निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है। इस घटना के बाद कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि भवन के अन्य हिस्सों में भी इसी प्रकार की निर्माण संबंधी खामियां हैं तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कर्मचारियों ने पूरे भवन का तकनीकी निरीक्षण कराने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच कराने तथा दोषी एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

पूरे भवन की जांच हो

बता दे कि डीआरएम कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण रेलवे प्रशासनिक भवन में हुई इस घटना ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल संबंधित अधिकारी मामले की जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि केवल औपचारिक जांच नहीं, बल्कि पूरे भवन का सुरक्षा ऑडिट कराया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जनहानि से बचा जा सके।

इनका कहना है

फिलहाल मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो इसके बारे में पता कर आप को जानकारी उपलब्ध कराता हूँ।

डॉ मधुर वर्मा
सीनियर डीसीएम, पमरे

मेडिकल क्लेम में 40 लाख के फर्जीवाड़े की आशंका, जांच हुई तेज

पश्चिम मध्य रेलवे में मचा हड़कंप

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में मेडिकल क्लेम के नाम पर लाखों रुपये के कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आने से रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में करीब 40 लाख रुपये से अधिक के अनियमित भुगतान की आशंका जताई गई है। मामले में कार्मिक विभाग के दो लिपिकों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कई अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। रेलवे विजिलेंस ने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार कुछ रेलवे कर्मचारियों ने निजी अस्पतालों में उपचार के बाद मेडिकल क्लेम के बिलों में हेराफेरी कर सरकारी राशि का अनुचित लाभ लिया।

कटनी के कर्मचारी भी जुड़े

आरोप है कि कार्मिक विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से 10 हजार रुपये के वास्तविक बिल को एक लाख रुपये तक दर्शाने के लिए राशि के आगे अतिरिक्त शून्य जोड़ दिए गए और उसी आधार पर भुगतान भी करा लिया गया। प्रारंभिक जांच में कार्मिक विभाग के तीन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि मामला केवल जबलपुर तक सीमित नहीं है। कटनी मंडल के इलेक्ट्रिक लोको शेड से जुड़े कुछ कर्मचारियों के मेडिकल बिल भी संदेह के घेरे में हैं। इसके अलावा कार्मिक एवं लेखा विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। विभागीय प्रक्रिया के तहत मेडिकल क्लेम का परीक्षण होने के बाद ही भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही या संभावित मिलीभगत की भी जांच का अहम हिस्सा बनाया गया है।

निलंबन की कार्यवाही हुई

पश्चिम मध्य रेलवे के आला अधिकारियों ने अनियमितता के मामले में तीन कर्मचारियों के निलंबन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि विजिलेंस जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे विजिलेंस की जांच पूरी होने के बाद इस बहुचर्चित मामले में और भी कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

सुबह से मंडराए बदरा, रात में झमाझम बरसे

नवभारत, जबलपुर। शहर में मंगलवार सुबह से ही आसमान में घने काले बादलों का डेरा रहा। शाम ढलते ही मौसम का मिजाज बदल गया। रात में बदरा झमाझम बरस पड़े। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम तो कभी फुहारें बरसती रही। ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया। इसके साथ ही शहर की सड़के तरबरत हो गई। हालांकि बीते दिनों से रूक-रूककर हो रही बारिश से उमस से परेशान नागरिकों को राहत मिली है। मानसून सीजन में अब तक 148.3 मिमी बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 8 और 9 जुलाई को पूरे जिले में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इन दो दिनों में प्रतिदिन 80 मिलीमीटर तक अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा 40 से 50 किमी की रफ्तार से आंधी चलने के आसार है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

टेक्सटाइल प्रोजेक्ट और सासन पावर पर एनजीटी सख्त

जबलपुर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी ने प्रदेश के दो अहम पर्यावरणीय मामलों में सख्त रुख अपनाया है। नीमच के मोरवन बांध के समीप प्रस्तावित टेक्सटाइल प्रोजेक्ट और सिंगरौली स्थित सासन पावर लिमिटेड पर फ्लाई ऐश डंपिंग व प्रदूषण के आरोपों की जांच के आदेश देते हुए संबंधित जिला कलेक्टरों सहित विभिन्न एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं। नीमच मामले में याचिकाकर्ता ने मोरवन बांध के किनारे प्रस्तावित करीब 150 बीघा के टेक्सटाइल उद्योग से जल स्रोत, भूजल और कृषि भूमि के प्रदूषित होने की आशंका जताई है। मोरवन बांध जावद, सरवानिया महाराज सहित कई क्षेत्रों की पेयजल और लगभग 15 गांवों की सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। एनजीटी ने नीमच कलेक्टर और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की दो सदस्यीय समिति गठित कर छह सप्ताह में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। जबकि दूसरे मामले में सिंगरौली की सासन पावर लिमिटेड पर अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग, वायु व जल प्रदूषण तथा कृषि भूमि प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। एनजीटी ने केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों, सिंगरौली कलेक्टर और कंपनी को नोटिस जारी कर तीन सदस्यीय संयुक्त समिति से जांच रिपोर्ट तलब की है। दोनों मामलों में एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

चाकू घोंपकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

रांझी क्षेत्र में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या करने वाले आरोपी संजय थापा को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश बृजेश सिंह की अदालत ने आरोपी संजय थापा को आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मिता ठाकुर ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 7 नवंबर 2021 की रात्रि छठवीं बटालियन एसएएफ पेट्रोल पंप के सामने मामा किराना स्टोर्स के पास आरोपी संजय थापा ने रोहित थापा से मारपीट करते हुए उसकी जांघ में चाकू घोंप दिया था। जिसे गंभीर हालत में उसका भाई सुमित कार से अस्पताल ले गया, लेकिन चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत रोहित को मृत घोषित कर दिया। उक्त मामले में रांझी पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी संजय थापा को उक्त सजा से दंडित किया।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57